वामपंथी पार्टियों ने गांधी जी को श्रद्धांजलि दी, मानव श्रृंखला बनाई और मौन रखा

महात्मा गांधी के बलिदान दिवस 30 जनवरी को, वामपंथी पार्टियों ने मानव श्रृंखला बनाकर दो मिनट का मौन रखने का आयोजन किया था। मानव श्रृंखला राजघाट से लालकिला, जामा मस्जिद, दिल्ली गेट होते हुये राजघाट पर ही खत्म होनी थी। 'नफ़रत छोड़ो, भारत जोड़ो' के नाम से आयोजित रैली को 'जन अधिकार जन एकता मंच' ने आयोजित किया था। हालांकि कार्यक्रम शाम को होना था लेकिन हज़ारों की संख्या में तैनात पुलिस दल ने पूरे इलाके-लाल किला, जामा मस्जिद, दिल्ली गेट को घेर लिया था और आस-पास के सभी मेट्रो स्टेशन बंद कर दिये थे।

पुलिस के भारी प्रबन्ध और सुबह से ही लोग़ों को तितर-बितर करते रहने से हालांकि पूरी एक बड़ी मानव श्रृंखला बनाने में तो संगठन नाकामयाब रहा, लेकिन दिल्ली गेट, राजघाट, लाल किला, जामा मस्जिद, गोलचा सिनेमा दरियागंज आदि जगहों पर इसके कार्यकर्ता सौ दो सौ के समूहों में श्रृंखला बनाने में कामयाब रहे। वहां उन्होंने नये नागरिकता कानून के विरोध में नारे लगाये और फिर पांच बजकर 17 मिनट सायं (गांधी जी का शहादत का समय) पर दो मिनट का मौन रखा और राष्ट्र गान गाया। तब तक पुलिस ने पहुंचकर सबको हिरासत में ले लिया और बसों में भरकर दूर-दूर ले जाकर (रिठाला, कंझावला, हरिनगर) छोड़ दिया।

आम तौर पर प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रहा लेकिन सुबह राजघाट से 300 के करीब लोग़ों को हिरासत में लेते वक्त कुछ धक्का-मुक्की अवश्य हुई। जहां एक ओर रोज़ाना प्रदर्शन विरोध की आवाज को बुलंद रखे हुये हैं वही 30 जनवरी के प्रदर्शन को रोकने में जितना पुलिस बल लगाया गया उससे लगता है कि सरकार बढ़ते विरोध से खासी बौखला गयी है।

महात्मा गाधी के शहादत दिवस पर एक और नाथूराम गोडसे

महात्मा गांधी के शहादत दिवस 30 जनवरी को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के बाहर नये नागरिकता कानून के खिलाफ़ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर एक हिन्दू आतंकवादी ने गोली चलाई। इससे एक छात्र घायल हो गया। पकड़े गये आतंकवादी का नाम गोपाल शर्मा बताया गया है। गोपाल शर्मा ने न सिर्फ़ फेसबुक पर चार दिन पहले से ऐसा कुछ करने के संकेत दे दिये थे बल्कि घटना वाले दिन भी वह अपना सीधा वीडियो प्रसारण फेसबुक पर दे रहा था।

यह सारी घटना मीडिया और पुलिस की मौजूदगी में हुई और लगभग ढाई मिनट तक पुलिस चुपचाप खड़ी ये तमाशा देखती रही, जब तक कि गोपाल शर्मा ने अपने देशी कट्टे से गोली चलाकर छात्र को घायल नहीं कर दिया। गोपाल शर्मा के नरेन्द्र मोदी व अन्य कई बीजेपी नेताओं के साथ फ़ोटो खूब वायरल हो रहे हैं।

दुख की बात यह है कि घायल छात्र को अस्पताल ले जाना तो दूर पुलिस ने उसको रास्ता देने के लिये अपने बेरीकेड्स तक हटाने से मना कर दिया। किसी भी घायल को अस्पताल पहुंचाना हर नागरिक का कर्त्तव्य है और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार ऐसा न करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी और उन्हें जेल भेजेगी। लेकिन पुलिस जब खुद कानून को तोड़े तो उसे कौन जेल भेजेगा?

यह भी गौर करने लायक है कि आरोपी गोपाल को नाबालिग साबित करने के लिये, घटना के कुछ घंटे बाद ही, उसका दसवीं का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। ये घटनाक्रम साबित करता है कि यह पूरा एक सोचा समझा षडयंत्र था ताकि गोली चला कर हिन्दू मुस्लिम मुद्दा खड़ा किया जा सके। और अपराधी को नाबालिग साबित करके उसे सज़ा से भी बचाया जा सके। लेकिन शायद अब छानबीन के कारण ऐसा न हो पाये।

उधर कर्नाटक के बिदर में नागरिकता कानून के विरोध में एक स्कूल में चौथी-पांचवी कक्षा के छात्रों द्वारा नाटक का मंचन किया गया। इस पर न सिर्फ़ उन मासूमों को थाने में बैठाकर अकेले में पूछताछ की गयी बल्कि उनके मां-बाप और स्कूल के प्रिंसिपल पर देशद्रोह और वैमनस्य बढाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। तो क्या गोपाल शर्मा और उसके हिन्दू वाहिनी के गुरू पर भी उन्हीं धाराओं में दिल्ली पुलिस को भी मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहिये था? क्या उन बच्चों ने अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा से भी ज्यादा भड़कीले और घृणा फ़ैलाने वाले काम किये हैं। या फ़िर अब न्याय भी धर्म और पार्टी देखकर किया जायेगा जैसे कि अब धर्म के आधार पर नागरिकता दी जायेगी।

नागरिकता कानून विरोध की लपटें आसमान तक

नये नागरिकता कानून पर लड़ाई अब आसमान में हवाई जहाजों तक जा पहुंची है। खबर है कि टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी जो बीजेपी के बड़ा पालतू भोंपू है वो और कामेडियन कुनाल कामरा एक ही जहाज में (इन्डिगो कंपनी) यात्रा कर रहे थे। इस पर कुनाल कामरा ने अर्नब को देखकर उनको बार-बार टीवी पर झूठ फ़ैलाने और अंध मोदी भक्ति पर कटाक्ष किये और बहस के लिये उकसाया। लेकिन टीवी के बाघ बहादुर अर्नब की फ्लाईट में बहस की हिम्मत नहीं पड़ी और उन्होंने कामरा की चुनौती स्वीकार न कर चुप बैठे रहे। फ्लाईट में बेइज्जती से आहत अर्नब ने अपने मालिकों उर्फ बीजेपी से बात की, मालिकों को अपने वफ़ादारों की जनता के किसी आदमी द्वारा बेइज्जती कैसे बर्दाश्त होती।

आनन-फ़ानन में 'इन्डिगो' कंपनी ने कामरा को छः महीने के लिये उनके जहाजों में यात्रा करने के लिये प्रतिबन्धित कर दिया। उधर सरकार के दबाव में कंगली सरकारी 'एयर इन्डिया' ने भी कुनाल कामरा पर अनिश्चत काल तक प्रतिबन्ध लगा दिया।

बता दें कि इससे पहले भी एक फ्लाईट में बीजेपी समर्थक टीवी एंकर था जो लालू यादव के बेटे तेजस्वी पर बात करने के लिये इसी तरह अड़े रहे। लेकिन उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।

जहाज के पायलट ने इन्डिगो कंपनी को अपना विरोध भी दर्ज करवाया है कि जब उन्होंने कुनाल कामरा के खिलाफ़ कोई शिकायत ही दर्ज नहीं करवायी तो ये कार्रवाई क्यों की गयी? पायलट का कहना था कि कुनाल ने अर्नब को बहस के लिये बेशक बुलाया हो लेकिन उन्होंने जहाज के स्टाफ़ के साथ न तो कोई अभद्रता की और न ही हुक्म उदूली की। ऐसे में सिर्फ मीडिया रिपोर्ट के आधार पर उन पर कार्रवाई करना गलत है।

उधर डीजी सीए प्रमुख ने भी इस कार्रवाई को अनुचित और नियमों के खिलाफ़ बताया है। डीजीसीए हवाई उड़ान सम्बन्धी देश की सर्वोच्च संस्था है। लेकिन जब पूरी सरकार ही धींगामुश्ती कर रही हो तो किसके आगे कोई दुखड़ा रोये। यह तय है कि सारी बेइमानी करने के बावजूद न तो लोग डरे हैं और न ही उतने मुस्लिमों के प्रति घृणा से भरे हैं कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी को वोट दें। इसलिये बीजेपी की हार हर छोटी से छोटी बात में बेईमानी करने और झूठ बोलने के बावजूद भी तय दिखती है।

दिल्ली पुलिस की नज़र में कलम नहीं कट्टे की है इज्जत

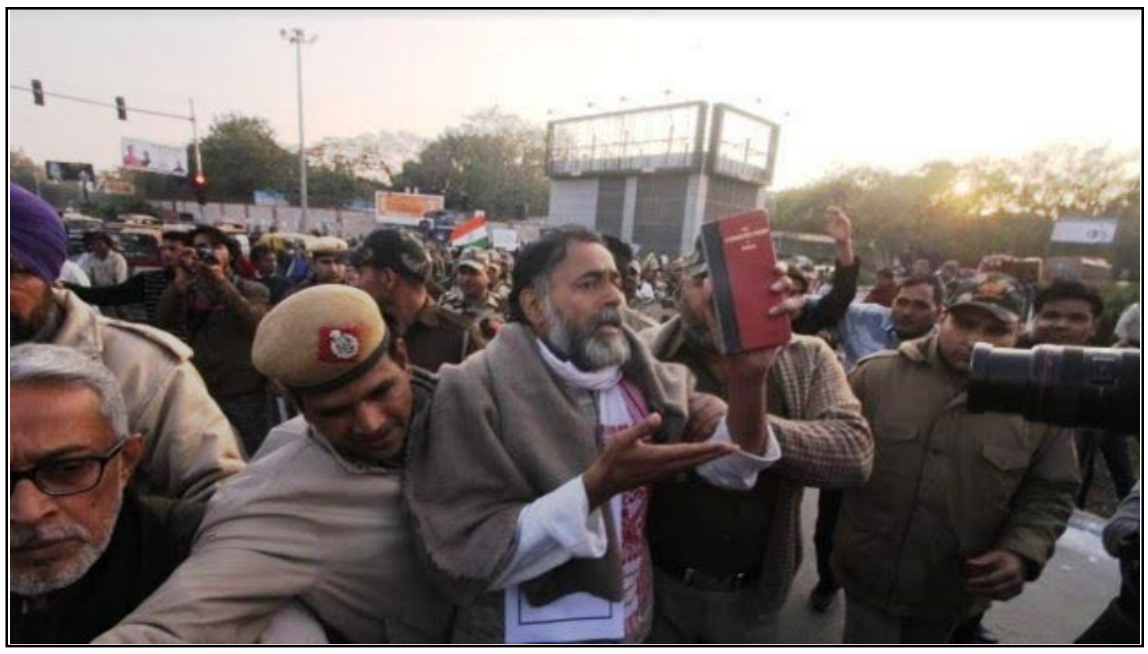

राजेश कुमार

थे तो वे दोनों भी पत्रकार, पर पता नहीं उन्होंने पुलिस को यह बताया था या नहीं। तीसरे पत्रकार को जरूर जब एक इंस्पेक्टर- सब-इंस्पेक्टर जैसे किसी जवान ने बांह से पकड़कर टैम्पो ट्रेवेलर के दरवाजे की तरफ खींचा तो जाने कैसे उसकी जुबान से बेसाख्ता निकल गया कि वह पत्रकार है। पुलिस वाले ने तो बल्कि इस पर कार्ड मांग कर देखा भी। सो आप कह सकते हैं कि वह गांधी की पुण्यतिथि पर एक नागरिक को राजघाट जाने से रोक रहा था। वह एक नागरिक को सीएए-एनआरसी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन से रोक रहा था और शायद पत्रकारों को अपने दायित्व के निर्वाह से भी।

शायद इसलिये कि कम से कम पुलिस को पता नहीं था कि वह वहां नागरिक के तौर पर था या पत्रकार की हैसियत से, या कि दोनों ही। वर्षों पहले, संसद की नाक के ठीक नीचे, गाजियाबाद से आने वाले न्यूज एजेंसी के एक पत्रकार की एक कांस्टेबल के हाथों बेरहम पिटाई की शिकायत लेकर ढेर सारे पत्रकार जब संसद मार्ग थाने गये थे तो तब के अपेक्षाकृत जहीन एसएचओ ने मासूम सी टिपपणी की थी कि 'इन्होंने बताया नहीं होगा कि ये पत्रकार हैं', गोया पत्रकार नहीं होना भी आईपीसी-सीआरपीसी में कोई अपराध हो। पर वह समय पीछे छूट चुका है। यहां तो उन्होंने बताया भी था, कार्ड भी दिखाया था। क्या पुलिस ने तीनों पत्रकारों को कपड़ों से पहचान लिया होगा? आखिर यह टीप देश के उच्चतम राजनेता ने दी है। पुलिस वाले गोदी मीडिया के दीपक, सुधीर, अंजना, अर्णब जैसे किसी धुरंधर के साथ भी ऐसा नहीं कर पाते, यह तो साफ ही है।

सुबह की ही तो बात है। जामिया नगर में एक लड़का खुलेआम न केवल पिस्तौल लहरा रहा था, बल्कि उसने एक फायर भी किया और उससे सीएए-एनआरसी के खिलाफ राजघाट तक प्रस्तावित लांग मार्च में शामिल एक युवक घायल भी हो गया। दिलचस्प यह था कि आम अपराधियों की तरह वह अचानक फायर कर फरार नहीं हो गया, बल्कि पिस्तौल लहराता हुआ इत्मिनान से, बीसेक मीटर पीछे खड़े एक एसएचओ और अच्छे-खासे पुलिसकर्मियों की ओर ही खिसकता रहा। कहते हैं कि वह नाबालिग है, यद्यपि वह किसी वयस्क के डायरेक्ट सुपरविजन में प्रशिक्षण नहीं ले रहा था। उस जैसों के लिये सीआरपीसी और अन्य कानूनों मे सार्वजनिक स्थल पर पिस्तौल लहराने और फायरिंग करने के लिये छूट का कोई प्रावधान हो, ऐसा भी नहीं है। लेकिन छूट तो मिलनी थी न!

आखिर वह एक मंत्री की 'गोली मारो सालों को' की एक अपील पर अमल भर ही तो कर रहा था। 'यह लो आजादी' और 'हिन्दुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा' जैसे नारे लगाकर उसने अपनी पहचान साफ तो कर ही दी थी। 'मिसटेकेन आइडेंटिटी' की गुंजाइश तो पीआईबी के एक्रीडिटेशन कार्ड-वार्ड दिखाने से होती है। प्रदर्शनकारियों में पर्याप्त आतंक मचाने का उस लड़के का कार्य सम्पन्न हो जाने के बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया। कोई विकल्प भी नहीं था ङ्क वह पास भी तो पहुंचता जा रहा था, वह भी, घटना को लगातार रिकार्ड करते सैकड़ों मोबाइल की लगातार चमकते फ्लैशों के बीच।

अलबत्ता बाद में, हिरासत में लेकर हरिनगर के घुप्प अंधेरे स्टेडियम में लाये गये सैकड़ों महिलाओं-पुरुषों की भीड़ में जरुर एक पत्रकार को इत्तला दी गयी थी कि पुलिस के पीआरओ उनके मोबाइल नम्बर जानना चाहते हैं, ताकि शायद प्रीफरेंशियल बेसिस पर उनकी रिहाई की व्यवस्था की जा सके, पर पत्रकारों को ऐसा करना नागवार लगा।

आखिर वहीं, घुप्प होते अंधेरे में महिलाओं ने भी तो प्राथमिकता के आधार पर उन्हें छोड़ देने की पुलिस की पेशकश इस सार्वजनिक रुख के साथ ठुकरा दी थी कि वे तभी जायेंगी, जब हिरासत में लिये गये सभी लोगों को छोड़ा जायेगा। वहां भाकपा के महासचिव डी. राजा, राष्ट्रीय सचिव अतुल कुमार अनजान, स्वराज अभियान के नेता योगेन्द्र यादव, मशहूर वकील और ऐक्टिविस्ट प्रशांत भूषण भी थे और सब रात लगभग आठ बजे ही मुक्त किये गये, जब गिरफ्तारियों के विरोध में आईटीओ पर लोगों का हुजूम जुटने लगा था।

योगी आदित्यनाथ के काफिले के सामने से गाय हटाने की ड्यूटी पर लगाए गए इंजीनियर

लखनऊ-उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बिजनौर में गंगा यात्रा का शुभारंभ किया। पांच दिवसीय गंगा यात्रा में केन्द्र सरकार के आठ मंत्री और जिलों के प्रभारी मंत्री शामिल होंगे। गंगा यात्रा दो मार्गों से निकाली जाएगी। यात्रा बिजनौर से कानपुर तक और बलिया से कानपुर तक निकाली जाएगी। पांच दिन चलने वाली गंगा यात्रा में इसके रास्ते में पड़ने वाले सभी 27 जिलों के प्रभारी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इसी बीच मिर्जापुर से खबर है कि लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय की ओर से एक आदेश जारी करके 9 इंजीनियरों की ड्यूटी सीएम योगी के संभावित दौरे के दौरान लगाई गई है। इस ड्यूटी के दौरान उन्हें आवारा पशुओं की पकड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। यह ड्यूटी चर्चाओं में बनी हुई है।

जारी किए गए आदेश में कहा गया है, 27-01-2020 से 31-02-2020 तक होने वाली प्रस्तावित गंगा यात्रा में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे की संभावना है। इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस लाइन मिर्जापुर से बिरोही तक अवर अभियंता की ड्यूटी लगाई जाती है। साथ ही कहा गया है कि ये अवर अभियंता अपनी गैंग के साथ 29 जनवरी को 8-10 रस्सियां लेकर वहां पहुंचे। अगर आवारा पशु सड़क पर आएं तो उनका बांध कर रखें। ताकि मुख्यमंत्री के आवागमन में कोई दिक्कत ना हो। वहीं मीडिया में खबरें आने के बाद मिर्जापुर के डीएम ने सफाई देते हुए कहा कि यह आदेश गलती से जारी हो गया था।

- साइबर नजर